



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082020-220852
CG-DL-E-05082020-220852

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2288]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2020/श्रावण 13, 1942

No. 2288]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2020/SRAVANA 13, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2020

का.आ. 2584(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, कोकराझार में कोकराझार, चिरांग एवं बक्सा ज़िले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड की जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में बरौनी – गुवाहाटी नेचुरल गैस पाइपलाइन (बी जी पी एल) परियोजना के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री भवानी प्रसाद शर्मा, ए सी एस, सचिव, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद को श्रीमती सुभालक्ष्मी डेका, ए सी एस, संयुक्त सचिव, भूमि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, कोकराझार के स्थान पर अतिरिक्त प्रभार के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/101/2017-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th July, 2020

S. O. 2584(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Bhawani Prasad Sharma, ACS, Secretary, Bodoland Territorial Council vice Smt. Subhalaxmi Deka, ACS, Joint Secretary, Land Revenue and Disaster Management Department, Bodoland Territorial Council, Kokrajhar to perform the functions of Competent Authority on additional charge basis under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Barauni – Guwahati Natural Gas Pipeline (BGPL) Project as an integral part of Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) Project of GAIL (India) Limited for the areas falling under District - Kokrajhar, Chirang and Baksa in the Bodoland Territorial Council, Kokrajhar.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/101/2017-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.